



प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ

NR-39/AA MTC/19 भाग-द Date-28-11-2019

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र)

मेसर्स साई रतन प्रेस्टिज द्वारा भूखण्ड संख्या: 68 से 74 एवं 77 से 94 तक ग्राम-मलाबाद, बढौली, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ पर निर्मित समूह आवास भवन के पूर्णता प्रमाण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण व स्थल निरीक्षण श्री शशी भूषण मिश्रा अवर अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है। पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दि० 14.10.2019 को प्रदान की गयी है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क(2) के अनुसार समूह आवास भवन निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

शर्त/प्रतिबन्ध-

1. नगर निगम/रेंजीडेंट एसोसिएशन समिति के हस्तान्तरण करने तक भवन के रख-रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों का सदा पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अग्निशमन उपकरण सदैव कियाशील रखना होगा।
3. आवटी द्वारा विकसित कार्य के संबंध में कोई शिकायत कभी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं के निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

हस्ताक्षर

पदनाम:

दिनांक

.....
अधिसासी अभियन्ता
अधिसासी अभियन्ता
मानचित्र लेख
लखनऊ विकास प्राधिकरण